

न्यायालय : अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश
(समक्ष-प्रतिष्ठा अवस्थी)

प्रकरण क्रमांक : 18ए/2015

संस्थित दिनांक : 25.07.2012

- 1-ओमप्रकाश पुत्र रामप्रकाश आयु 50 वर्ष
- 2-सरनामसिंह आयु 45 वर्ष
- 3-अटलबिहारी आयु 43 वर्ष पुत्रगण बाबूलाल उर्फ बाबूसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम रामपाल का पुरा (चन्दोखर) तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— वादीगण

बनाम

- 1-हरलाल उर्फ हरपाल आयु 65 वर्ष पुत्र रतनलाल जाति कुशवाह निवासी ग्राम रामपाल का पुरा (चन्दोखर) तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
- 2-म0प्र0 राज्य शासन द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड म0प्र0

— प्रतिवादीगण

(वादीगण द्वारा-अधिवक्ता श्री के0पी0राठौर)

(प्रतिवादी क्रं0 1 द्वारा अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कांकर)

(प्रतिवादी क्रं0 2 एकपक्षीय)

निर्णय

(आज दिनांक 21-12-2017 को घोषित)

वादीगण द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम चंदोखर तहसील गोहद में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 2394 रकवा 2बीघा 2विश्वा नवीन सर्वे क्रमांक 1729 रकवा 0.42 है0 की स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि भूमि सर्वे क्रमांक 1729 रकवा 0.42 ग्राम चंदोखर तहसील गोहद में स्थित है उक्त भूमि के वादीगण स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं। उक्त विवादित भूमि का बंदोवस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 2394 रकवा 2बीघा 2विश्वा था जिसे वादीगण के पिता बाबूसिंह पूर्व भूमिस्वामी दाताराम, रामेश्वर एवं लालसिंह से जर्गे विक्रय पत्र दिनांक 14.09.93 को अन्य भूमियों के साथ क्रय किया था तभी से वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पिता खेती करते रहे थे। वादीगण के पिता बाबूसिंह की मृत्यु वर्ष 2003 में होने के पश्चात वादग्रस्त भूमि पर वादीगण की खेती हो रही है एवं वादग्रस्त

भूमि पर वादीगण का हरकिस्मी कब्जा बर्ताव है। प्रतिवादी ने अपने भाई रामनाथ से सांठगांठ करके वादग्रस्त भूमि के अलावा अन्य भूमि के संबंध में पूर्व भूमिस्वामी दाताराम, रामेश्वर, लालसिंह के विरुद्ध पूर्व में वाद प्रस्तुत किया था जिसमें विक्रय पत्र दिनांक 14.09.93 संपादित होने के पश्चात् भी बाबूसिंह को पक्षकार नहीं बनाया था। विक्रय पत्र वादपत्र के पेश किए जाने के पूर्व ही वादीगण के पूर्वज के पक्ष में संपादित हो गया था इसलिए प्र०क्र० 31/2000इ०दी० में न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 द्वारा पारित निर्णय वादीगण के मुकाबले शून्य होकर प्रभावहीन है उक्त निर्णय एवं डिक्री से प्रतिवादी को वादीगण के मुकाबले कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी का किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। वादग्रस्त भूमि का जितना रकवा बंदोवस्त के पूर्व मौके पर था उतना ही वर्तमान में मौके पर है किन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रतिवादी क्रमांक 2 के अधीनस्थ कर्मचारियों से मिलकर राजस्व अभिलेखों में वादग्रस्त भूमि का रकवा 2बीघा 15 विश्वा करा लिया है एवं प्रतिवादी ने सांठगांठ करके उनके स्वामित्व के खेत में अपने नाम का इन्द्राज करा लिया है जोकि वादीगण के मुकाबले प्रभावहीन है। वादीगण ने वादग्रस्त खेत की पैमाइश कराने के लिए न्यायालय तहसीलदार वृत्त एण्डोरी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें पटवारी द्वारा सीमांकन किया गया था एवं प्रतिवेदन तैयार किया गया था जिसे न्यायालय तहसीलदार वृत्त एण्डोरी ने प्र०क्र० 01/10-11अ-12 पर दर्ज कर कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण दाखिल रिकार्ड किया था। सीमांकन के दौरान की गयी कार्यवाही के बाद वादीगण को यह जानकारी मिली थी कि वादग्रस्त भूमि का नया नंबर 1729/1 रकवा 0.42 हो गया है परन्तु उससे वादीगण को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वादीगण के पिता द्वारा क्रय किया गया रकवा वादीगण के आधिपत्य एवं स्वत्व का था प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है फिर भी प्रतिवादी ने वादीगण को परेशान करने के लिए सांठगांठ करके बंदोवस्त के दौरान राजस्व कागजातों में वादग्रस्त भूमि के बढ़ाये गये रकवे के बटांकन हेतु न्यायालय अपर तहसीलदार वृत्त एण्डोरी के समक्ष आवेदन पेश किया था तथा वादी की जानकारी के बिना दिनांक 13.07.09 को कार्यवाही करा ली थी। वादीगण द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी गोहद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी जिसमें दिनांक 25.10.10 को मामला प्रत्यावर्तित किया गया था। वादीगण ने प्रत्यावर्तित प्रकरण में न्यायालय अपर तहसीलदार वृत्त एण्डोरी के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए भरपूर प्रयास किया था किन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादीगण को फाइल का अवलोकन नहीं करने दिया था एवं कार्यवाही करा ली थी। दिनांक 16.07.12 को वादीगण अपने खेत को जोत रहे थे तो प्रतिवादी ने वादीगण को खेत जोतने से मना किया था तब वादीगण को यह जानकारी हुई थी कि प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि के रकवे में 11 विश्वा भूमि पर अपना नाम अंकित करा लिया है। मौके पर वादग्रस्त भूमि का रकवा 0.55 नहीं है इसके बावजूद भी प्रतिवादी ने राजस्व अधिकारियों से सांठगांठ करके वादीगण के बयानों को प्रभावित कर दिया है वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादीगण का निवेदन है कि वादीगण को वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1729 रकवा 0.42 है० का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी के विरुद्ध यह स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादीगण के कब्जे में बाधा उत्पन्न न करें।

3. प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1729 के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी नहीं हैं। सर्वे क्रमांक 2394 को विक्रय करने का अधिकार दाताराम, रामेश्वर एवं लालसिंह को नहीं था यदि उक्त लोगों ने वादीगण के पिता बाबूसिंह के हक में विक्रय पत्र दिनांक 14.09.93 निष्पादित किया है तो वह फर्जी एवं स्वत्वविहीन है। वादीगण के पिता बाबूसिंह का वादग्रस्त भूमि के 1/4 भाग पर कभी कब्जा नहीं रहा

है। वादग्रस्त भूमि के 11 विश्वा पर प्रतिवादी हरलाल का कब्जा है। प्रतिवादी हरलाल ने वादीगण के पूर्वहितधारी दाताराम, रामेश्वर एवं लालसिंह के विरुद्ध विधिवत व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 पेश किया था। उक्त वाद विक्रय पत्र दिनांक 14.09.93 निष्पादित होने के पूर्व से ही संचालित था दाताराम वगैरह ने उक्त संबंध में प्रतिवादी हरलाल को कोई जानकारी नहीं दी थी वादीगण ने भी उक्त तथ्य को गोपनीय रखा था इसी कारण वादीगण ने दाताराम वगैरह को वर्तमान दावे में पक्षकार नहीं बनाया है जोकि प्रकरण के आवश्यक पक्षकार हैं। पूर्ववर्ती वाद दिनांक 18.08.90 से संचालित था इसलिए प्र0क्र0 31ए/2000 में पारित निर्णय एवं डिक्री से वादीगण पाबंद हैं। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी हरलाल के स्वत्व एवं आधिपत्य की है उक्त भूमि पर वादीगण का कोई स्वत्व व आधिपत्य नहीं है। डिक्री से प्रतिवादी को वादग्रस्त भूमि में पूर्ण स्वत्व प्राप्त हो चुके हैं। बंदोवस्त के बाद प्रतिवादी क्रमांक 1 सर्वे क्रमांक 1729/2 रकवा 11 विश्वा पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। बंदोवस्त में प्रतिवादी क्रमांक 1 हरलाल का सही इन्द्राज हुआ है। वादीगण को प्रतिवादी क्रमांक 1 हरलाल की भूमि की पैमाइश का कोई अधिकार नहीं है और उक्त पैमाइश की कोई सूचना प्रतिवादी क्रमांक 1 को नहीं दी गयी है इसलिए पैमाइश की कार्यवाही से प्रतिवादी क्रमांक 1 पाबंद नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 1 हरलाल वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1729/2 का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है आदेश दिनांक 13.07.09 सही एवं वैधानिक है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कोई स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं है। वादग्रस्त भूमि का बटांकन हो चुका है जिस पर प्रतिवादी का कब्जा है। वादीगण द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

4. प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 2 के तामील उपरांत उपस्थित न होने से उसके विरुद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।

5. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित हैं।

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

1. क्या वादीगण ग्राम चंदोखर तहसील गोहद में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 2392 रकवा 2 बीघा 2विश्वा, नवीन सर्वे क्रं0 1729 रकवा 0.42 वाके के एकमात्र स्वत्व व आधिपत्यधारी है ?
2. क्या तहसीलदार वृत्त एण्डोरी द्वारा प्र0क्र0 04/08-09अ-3 में पारित आदेश दिनांक 16.04.12 शून्य घोषित किए जाने योग्य है ?
3. क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है ?
4. क्या वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?
5. क्या प्रस्तुत वाद प्रांग न्याय के सिद्धांत के अनुसार प्रचलन योग्य नहीं है ?
6. सहायता एवं व्यय ?
7. क्या प्रस्तुत वाद अवधि बाह्य है ?
8. क्या वादी द्वारा कब्जे की सहायता न चाहे

जाने के कारण प्रस्तुत वाद प्रचलन योग्य नहीं है ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

वाद प्रश्न क्रमांक-1

6. उक्त वादप्रश्न के संबंध में वादी ओमप्रकाश उर्फ रामप्रकाश वा0सा01 द्वारा अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचनित किया गया है कि वादीगण ग्राम चंदोखर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1729 रकवा 0.42 है0 के रिकार्डेड स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं। उक्त भूमि का बंदोवस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 2394 रकवा 2बीघा 2विश्वा था जिसे वादीगण के पिता बाबूसिंह ने पूर्व भूमिस्वामी दाताराम, रामेश्वर एवं लालसिंह से जर्ज विक्रय पत्र दिनांक 14.09.93 को अन्य भूमियों के साथ क्रय किया था। वादीगण के पिता जब तक जीवित रहे थे वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर खेती करते रहे थे एवं उनकी मृत्यु के बाद वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर हरकिस्मी कब्जा बर्ताव है। विवादित भूमि से प्रतिवादी का किसी भी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं है। प्रतिवादी ने बंदोवस्त अधिकारियों से मिलकर रकवा बढ़वा लिया है एवं बोगस इन्द्राज करा लिया है तथा गलत रूप से बंटवारा करा लिया है। प्रतिवादीगण ने अपने भाई रामनाथ से सांठगांठ करके वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में दाताराम, रामेश्वर, लालसिंह के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया था। उक्त वाद में प्रतिवादी द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 14.09.93 निष्पादित होने के बाद भी बाबूसिंह को पक्षकार नहीं बनाया था। अतः व्यवहारवाद क्रमांक 31/2000ए इ0दी0 में पारित निर्णय एवं डिक्री वादीगण के मुकाबले शून्य है। प्रतिवादी ने सांठगांठ करके वादीगण के बयनामे को प्रभावित करने के लिए वादग्रस्त भूमि पर गलत इन्द्राज करा लिया है जबकि राजस्व निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि मौके पर रकवा 0.55 है0 नहीं है। वादी ओमप्रकाश उर्फ रामप्रकाश वा0सा01 ने अपने अभिवचनों के समर्थन में खसरा संवत 2051 लगायत 55 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी-3 री-नंबरिंग सूची प्र0पी-4, फील्डबुक प्र0पी-5, पंचनामा प्र0पी-6, तहसीलदार के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी-7, जांच प्रतिवेदन प्र0पी-8, फील्डबुक प्र0पी-9, पंचनामा प्र0पी-10, विक्रय पत्र दिनांक 14.09.93 प्र0पी-11, एवं एस.डी.ओ. गोहद के आदेश प्र0पी-12 तथा व्यवहारवाद क्रमांक 86/90 हरपाल विरुद्ध दाताराम के वादपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी-13, जवाबदावा प्र0पी-14, वादप्रश्न की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी-15 एवं निर्णय तथा डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी-16 प्रकरण में प्रस्तुत की है।

7. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 5 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके पिता बाबूसिंह ने दाताराम, लालसिंह एवं रामेश्वर से प्र0पी-11 का बयनामा कराया था एवं यह भी व्यक्त किया है कि दाताराम, लालसिंह एवं रामेश्वर वर्तमान में जीवित हैं उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि हरलाल ने दाताराम, लालसिंह एवं रामेश्वर पर दिनांक 18.08.90 को दावा पेश किया था जो प्र0पी-3 है। पद क्रमांक 6 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि हरलाल को वादग्रस्त भूमि की ऋण पुस्तिका प्राप्त हो गयी है वादग्रस्त भूमि के खसरे में उसके नाम का इन्द्राज है।

8. वादी साक्षी परशराम वा0सा02 ने भी वादीगण के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी है।

9. प्रतिवादी हरलाल उर्फ हरपाल प्र0सा01 द्वारा वादीगण के अभिवचनों का खण्डन करते हुए व्यक्त किया है कि विवादित सर्वे क्रमांक 1729/2 के वादीगण भूमिस्वामी नहीं हैं। बल्कि उक्त सर्वे क्रमांक का वह स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। सर्वे क्रमांक 2394 को विक्रय करने का अधिकार दाताराम, रामेश्वर व लालसिंह को नहीं था यदि उक्त लोगों ने वादीगण के पिता बाबूसिंह के हक में दिनांक 14.09.93 को बयनामा किया है तो वह

फर्जी एवं स्वत्वविहीन है। बयनामे के अनुसार वादीगण के पिता का विवादित भूमि के 1/4 भाग पर कभी कब्जा नहीं रहा है बल्कि प्रतिवादी सर्वे क्रमांक 1729/2 के 11विश्वा पर काबिज है। बंदोवस्त के पश्चात सर्वे क्रमांक 1729/2 के 11 विश्वा रकवा पर स्वत्व एवं कब्जे के अनुसार उसका सही इन्द्राज हुआ है। उसके स्वत्व की भूमि की पैमाइश कराने का अधिकार वादीगण का नहीं था उसके सामने कोई पैमाइश नहीं हुई थी। वादग्रस्त भूमि पर उसके स्वत्व की जानकारी एवं राजस्व कागजातों में इन्द्राज की जानकारी वादीगण एवं उनके पिता बाबूसिंह को पूर्व से ही थी। तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 13.07.89 सही है दीवानी न्यायालय की डिक्री के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर उसका सही इन्द्राज हुआ है। उसके रकवे के संबंध में वादीगण ने गलत दावा प्रस्तुत किया है। सर्वे क्रमांक 2394 के संबंध में व्यवहारवाद क्रमांक 31/2000ए इ.दी. संचालित हुआ था जोकि दिनांक 12.12.2000 को निर्णीत हुआ था उक्त डिक्री के अनुसार वह वादग्रस्त भूमि के 1/4 भाग का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। दाताराम द्वारा स्वत्वविहीन बयनामा किया गया था। वादग्रस्त भूमि का बटांकन भी हो चुका है। जिस पर उसका कब्जा है। वादीगण द्वारा उसे परेशान करने के लिए असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी हरलाल उर्फ हरपाल प्र0सा01 द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में प्र0डी-1 लगायत प्र0डी-13 के दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत किए गए हैं।

10. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसके द्वारा उक्त जमीन के संबंध में सन 1990 में दावा पेश किया गया था उसे नहीं पता कि उक्त जमीन दाताराम, रामेश्वर एवं लालसिंह ने बाबूसिंह को बेची थी या नहीं। उसने 1990 में प्र0डी-5 का जो दावा पेश किया था उसमें उसने वादीगण के पिता बाबूसिंह को पक्षकार नहीं बनाया था। बंदोवस्त के पहले सर्वे क्रमांक 2394 दो बीघा दो विश्वा का था बंदोवस्त के बाद उसका कितना रकवा बना था उसे पता नहीं है। पद क्रमांक 5 में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि वर्ष 1998 सवंत 2051 लगायत 55 के खसरे में सर्वे क्रमांक 2394 पर वादीगण का नाम अंकित है एवं स्पष्ट किया है कि आधा उसका है आधा वादीगण का है। सर्वे क्रमांक 2394 के स्वामी पूर्व में उसके पिता रतनपाल एवं चाचा ज्ञानसिंह थे तथा उनकी मृत्यु के उपरांत सर्वे क्रमांक 2394 का आधा भाग उसे और उसके भाइयों को मिला था तथा आधा भाग ज्ञानसिंह के लड़कों को मिला था। रामसिंह उसके चचेरे भाई थे। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जब उसे प्र0पी-16 के फेंसले में 1/4 भाग का स्वामी माना गया था उस समय वादीगण के पिता बाबूसिंह प्रकरण में पक्षकार नहीं थे।

11. प्रतिवादी साक्षी श्रीराम प्र0सा02, एवं राजवीर प्र0सा03 द्वारा प्रतिवादी हरपाल उर्फ हरलाल के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी गयी है।

12. तर्क के दौरान वादीगण अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि विक्रय पत्र दिनांक 14.09.93 के अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि के एकमात्र स्वत्व आधिपत्यधारी हैं जबकि तर्क के दौरान प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि निर्णय एवं डिक्री दिनांक प्र0डी-1 के अनुसार प्रतिवादी हरलाल को वादग्रस्त भूमि के 1/4 भाग पर स्वत्व प्राप्त हुआ था एवं दाताराम वगैरह को वादग्रस्त भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था तथा विक्रय पत्र दिनांक 14.09.93 से वादीगण को वादग्रस्त भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है।

13. प्रस्तुत प्रकरण में वादी ओमप्रकाश उर्फ रामप्रकाश वा0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वह एवं उसके भाई सरनामसिंह तथा अटलबिहारी सर्वे क्रमांक 1729 रकवा 0.42 है0 के संपूर्ण भाग के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं। बंदोवस्त के पूर्व उक्त भूमि का सर्वे क्रमांक 2394 रकवा 2बीघा 2 विश्वा था उक्त भूमि वादीगण के पिता बाबूसिंह ने पूर्व भूमि स्वामी दाताराम, रामेश्वर एवं लालसिंह से पंजीकृत विक्रय पत्र

दिनांक 14.09.93 प्र0पी-11 द्वारा क्रय की थी एवं कब्जा प्राप्त किया था। जब तक वादीगण के पिता बाबूसिंह जीवित रहे थे वह वादग्रस्त भूमि पर खेती करते रहे थे वर्ष 2003 में बाबूसिंह की मृत्यु हो गयी थी एवं बाबूसिंह की मृत्यु पश्चात वादीगण वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1729 रकबा 0.42 है० के संपूर्ण भाग के एकमात्र स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं जबकि प्रतिवादी हरलाल प्र0सा01 द्वारा उक्त तथ्यों का खण्डन किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि के 1/4 भाग पर उसका स्वत्व एवं आधिपत्य है।

14. प्रतिवादी हरलाल प्र0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि व्यवहारवाद क्रमांक 31/2000 निर्णय दिनांक 12.12.2000 प्र0डी-1 के द्वारा वादग्रस्त भूमि के 1/4 भाग का उसे स्वत्व एवं आधिपत्यधारी घोषित किया गया था तभी से वादग्रस्त भूमि के 1/4 भाग पर उसका स्वत्व है जबकि वादीगण का यह कहना है कि चूंकि वह व्यवहारवाद क्रमांक 31/2000 में पक्षकार नहीं थे इसलिए व्यवहारवाद क्रमांक 31/2000 निर्णय दिनांक 12.12.2000 प्र0डी-1 उन पर बाध्यकारी नहीं है।

15. वादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि भूमि सर्वे क्रमांक 1729 रकबा 0.42 है० का बंदोवस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 2394 रकबा 2बीघा 2विश्वा था उक्त संबंध में वादीगण की ओर से प्र0पी-4 की री-नंबरिंग सूची प्रस्तुत की गयी है जिसके अवलोकन से यह दर्शित है कि सर्वे क्रमांक 1729 का बंदोवस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 2394 था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 के वादपत्र, जवाबदावा एवं निर्णय तथा डिक्री की सत्यापित प्रतिलिपियों को प्र0पी-13, प्र0पी-14 एवं प्र0पी-16 के रूप में प्रदर्शित कराया गया है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 के वादपत्र, जवाबदावा एवं निर्णय तथा डिक्री की सत्यापित प्रतिलिपियों को प्र0डी-5, प्र0डी-6 एवं प्र0डी-1 के रूप में प्रदर्शित कराया गया है।

16. वादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि उनके पिता मृतक बाबूसिंह ने पूर्व भूमिस्वामी दाताराम, रामेश्वर एवं लालसिंह से दिनांक 14.09.93 को प्र0पी-11 के विक्रय पत्र द्वारा क्रय की थी। वादीगण द्वारा उक्त संबंध में प्र0पी-11 का विक्रय पत्र पेश किया गया है जिसके अवलोकन से यह दर्शित है कि दाताराम, रामेश्वर एवं लालसिंह द्वारा बाबूसिंह को सर्वे क्रमांक 2394 रकबा 0.439 है० का संपूर्ण भाग दिनांक 14.09.93 को विक्रय किया गया था। प्रतिवादीगण द्वारा यह आपत्ति प्रकट की गयी है कि व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 के विचाराधीन रहने के दौरान दाताराम वगैरह को वादग्रस्त भूमि का विक्रय करने का अधिकार नहीं था जबकि वादीगण द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि विक्रय पत्र दिनांक 14.09.93 निर्णय दिनांक 12.12.2000 प्र0पी-16 एवं प्र0डी-1 के पूर्व का है एवं उक्त प्रकरण में वह पक्षकार भी नहीं थे इसलिए उक्त निर्णय एवं डिक्री उन पर बाध्यकारी नहीं है।

17. वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा जो व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 के वादपत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0पी-13 एवं प्र0डी-5 प्रकरण में प्रस्तुत की गयी हैं उनके अवलोकन से यह दर्शित है कि व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 दिनांक 18.08.90 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था तथा जवाबदावा प्र0पी-14 एवं प्र0डी-6 के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि उक्त व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 में प्रतिवादी दाताराम, रामेश्वर एवं लालसिंह द्वारा दिनांक 27.03.92 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्र0पी-11 का विक्रय पत्र दिनांक 14.09.93 का है अतः प्र0पी-11 के विक्रय पत्र के अवलोकन से यही दर्शित होता है कि प्र0पी-11 का विक्रय पत्र दाताराम वगैरह व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 के विचारण के दौरान निष्पादित किया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम

1882 की धारा 52 संपत्ति संबंधी वाद के लंबित रहते हुए संपत्ति अंतरण के संबंध में प्रावधान करती है उक्त प्रावधान के अनुसार— “जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत की सीमाओं के अंदर प्राधिकारवान या केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी सीमाओं के परे स्थापित किसी न्यायालय में ऐसे वाद या कार्यवाही के लंबित रहते हुए जो दुस्संधिपूर्ण न हो और जिसमें स्थावर संपत्ति का कोई अधिकार प्रत्यक्षतः और विनिर्दिष्टता प्रश्नगत हो, वह संपत्ति उस वाद या कार्यवाही के किसी भी पक्षकार द्वारा उस न्यायालय के प्राधिकार के अधीन और ऐसे निबंधनों के साथ जैसे वह अधिरोपित करे अंतरित या व्ययनित किए जाने के सिवाय ऐसे अंतरित या अन्यथा व्ययनित नहीं की जा सकती कि उससे किसी अन्य पक्षकार के डिक्री या आदेश के अधीन जो उसमें दिया जाये अधिकारों पर प्रभाव पड़े।”

स्पष्टीकरण— किसी वाद या कार्यवाही का लंबन इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस तारीख से प्रारंभ हुआ समझा जायेगा जिस तारीख को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में वह वादपत्र प्रस्तुत किया गया या वह कार्यवाही संस्थित की गयी और तब तक चलता हुआ समझा जायेगा जब तक उस वाद या कार्यवाही का निपटारा अंतिम डिक्री या आदेश द्वारा न हो गया हो और ऐसे डिक्री या आदेश की पूरी तुष्टि या उन्मोचन अभिप्राप्त न कर लिया गया हो।”

18. इस प्रकार संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 जोकि लिस पेन्डेन्स के सिद्धांत को उल्लिखित करती है के अनुसार यदि किसी वाद के विचाराधीन रहते हुए उस वाद में प्रश्नगत स्थावर संपत्ति का अंतरण किया जाता है तो वह अंतरण उक्त प्रकरण में न्यायालय के आदेशों के अधीन रहेगा तथा उक्त धारा के स्पष्टीकरण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वाद लंबित या विचाराधीन उस दिन से माना जायेगा जिस दिनांक से सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में उक्त संपत्ति का वाद प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत प्रकरण में व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 के वादपत्र प्र०पी-13 एवं प्र०डी-5 के अवलोकन से यह दर्शित है कि उक्त वाद हरलाल द्वारा दाताराम, रामेश्वर एवं लालसिंह के विरुद्ध दिनांक 18.08.90 को व्यवहार न्यायालय वर्ग-1 गोहद में पेश किया गया था। ऐसी स्थिति में यही दर्शित होता है कि दाताराम वगैरह द्वारा प्र०पी-11 के विक्रय पत्र का निष्पादन व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 के विचाराधीन रहने के दौरान किया गया था।

19. वादीगण द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि चूंकि व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 में उनके पिता मृतक बाबूसिंह पक्षकार नहीं थे एवं हरलाल द्वारा बाबूसिंह को पक्षकार नहीं बनाया गया था इसलिए व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 में पारित निर्णय एवं डिक्री वादीगण के मुकाबले शून्य एवं प्रभावहीन है परन्तु वादीगण का यह तर्क उचित नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि वादीगण के पिता मृतक बाबूसिंह पूर्व व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 में पक्षकार नहीं थे परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 में प्र०पी-11 के विक्रय पत्र के विक्रेता दाताराम, रामेश्वर एवं लालसिंह प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार थे इसलिए व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2000 प्र०पी-16 एवं प्र०डी-1 उनके उपर बाध्यकारी था एवं व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक प्र०पी-16 एवं प्र०डी-1 के अनुसार प्रतिवादी हरलाल को अन्य भूमियों के साथ भूमि सर्वे क्रमांक 2394 रकवा 2बीघा 2विश्वा के 1/4 का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी घोषित किया गया था ऐसी स्थिति में दाताराम वगैरह वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 2394 के संपूर्ण रकवा 2बीघा 2विश्वा के भूमिस्वामी नहीं थे बल्कि उक्त रकवा के 3/4 भाग के भूमिस्वामी थे। चूंकि व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक प्र०पी-16 एवं प्र०डी-1 प्र०पी-11 के विक्रय पत्र के विक्रेतागण पर

बाध्यकारी था एवं प्र०पी-11 के विक्रेता दाताराम, रामेश्वर, लालसिंह को वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 2394 रकवा 2बीघा 2विश्वा का संपूर्ण भाग विक्रय करने का अधिकार नहीं था एवं विक्रेता अपने से अच्छा स्वत्व क्रेता को अंतरित नहीं कर सकता है एवं प्र०पी-11 का विक्रय पत्र व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 के विचाराधीन रहते हुए निष्पादित किया गया था तथा उक्त अंतरण व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 में पारित निर्णय एवं डिक्री के अधीन था। चूंकि व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 में पारित निर्णय एवं डिक्री प्र०पी-16 तथा प्र०डी-1 के अनुसार दाताराम, रामेश्वर, लालसिंह भूमि सर्वे क्रमांक 2394 रकवा 2बीघा 2विश्वा के संपूर्ण भाग के स्वत्वधारी नहीं थे बल्कि उक्त भूमि के 1/4 भाग का स्वत्वधारी प्रतिवादी हरलाल था ऐसी स्थिति में दाताराम वगैरह को संपूर्ण रकवा विक्रीत करने का अधिकार नहीं था एवं विक्रय पत्र दिनांक 14.09.93 प्र०पी-11 प्रतिवादी हरलाल के 1/4 भाग तक शून्य है एवं उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण को वादग्रस्त भूमि के संपूर्ण रकवे पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है।

20. यहां यह उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि चूंकि मृतक बाबूसिंह व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 में पक्षकार नहीं थे इस कारण उक्त निर्णय एवं डिक्री उनके विरुद्ध प्रभावहीन है। यद्यपि यह सत्य है कि व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 में वादीगण के पिता मृतक बाबूसिंह पक्षकार नहीं थे परन्तु मृतक बाबूसिंह को वादग्रस्त भूमि दाताराम, रामेश्वर एवं लालसिंह द्वारा विक्रय की गयी थी तथा दाताराम, रामेश्वर एवं लालसिंह व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 में पक्षकार थे इसलिए प्र०पी-16 एवं प्र०डी-1 का निर्णय से दाताराम वगैरह बाध्य थे एवं उक्त निर्णय एवं डिक्री को किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तित अथवा अपास्त भी नहीं किया गया है उक्त निर्णय एवं डिक्री वर्तमान में प्रभावशील है। चूंकि प्र०पी-16 एवं प्र०डी-1 के निर्णय एवं डिक्री के अनुसार दाताराम वगैरह को सर्वे क्रमांक 2394 का संपूर्ण रकवा 2बीघा 2विश्वा विक्रय करने का अधिकार नहीं था एवं विक्रेता अपने से अच्छा स्वत्व क्रेता को अंतरित नहीं कर सकता है चूंकि दाताराम वगैरह प्र०पी-11 के विक्रय पत्र द्वारा विक्रीत भूमि सर्वे क्रमांक 2394 के संपूर्ण रकवा 2बीघा 2विश्वा के स्वत्वधारी नहीं रहे थे ऐसी स्थिति में मृतक बाबूसिंह को भी सर्वे क्रमांक 2394 के संपूर्ण रकवा 2बीघा 2विश्वा पर स्वत्व प्राप्त नहीं हुआ था एवं उक्त विक्रय पत्र प्रतिवादी हरलाल के 1/4 भाग तक शून्य था।

21. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि प्र०पी-11 का विक्रय पत्र प्रतिवादी हरलाल के 1/4 भाग तक शून्य है एवं शेष 3/4 भाग तक प्रभावशील है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के शेष 3/4 भाग पर वादीगण के स्वत्व के संबंध में कोई विवाद नहीं है प्रतिवादी हरलाल प्र०सा०1 ने भी वादग्रस्त भूमि के 1/4 भाग पर अपना स्वत्व होना बताया है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण ने वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1729 के संपूर्ण रकवा 0.42 है० की स्वत्व घोषणा चाही है एवं व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2000 प्र०पी-16 एवं प्र०डी-1 के अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 2394 रकवा 2बीघा 2विश्वा बंदोवस्त पश्चात नवीन सर्वे क्रमांक 1729 रकवा 0.42 है० के संपूर्ण भाग के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी नहीं हैं ऐसी स्थिति में वादीगण को सर्वे क्रमांक 1729 रकवा 0.42 है० के संपूर्ण भाग का एकमात्र स्वत्व एवं आधिपत्यधारी नहीं माना जा सकता है।

22. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से यह प्रमाणित नहीं होता है कि ग्राम चंदोखर तहसील गोहद में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 2394 रकवा 2बीघा 2विश्वा नवीन सर्वे क्रमांक 1729 रकवा 0.42 है० के संपूर्ण रकवे के वादीगण एकमात्र स्वत्व व आधिपत्यधारी हैं। फलतः उक्त वादप्रश्न वादीगण के पक्ष में

प्रमाणित नहीं हैं।

वाद प्रश्न क्रमांक-2

23. उक्त वादप्रश्न के संबंध में वादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि तहसीलदार वृत्त एण्डोरी द्वारा प्र०क्र० 4/08-09अ-3 में पारित आदेश दिनांक 16.04.12 में वादीगण को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला था अतः उक्त आदेश वादीगण के मुकाबले शून्य घोषित किए जाने योग्य है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा ही प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह दर्शित है कि आदेश दिनांक 16.04.12 प्र०पी-7 को अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा आदेश दिनांक 31.12.15 प्र०पी-12 द्वारा अपास्त कर दिया गया है। चूंकि आदेश दिनांक 16.04.12 प्र०पी-7 को अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा प्र०पी-12 के आदेश द्वारा अपास्त किया जा चुका है ऐसी स्थिति में अब उक्त वादप्रश्न का विश्लेषण किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फलतः उक्त वादप्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया।

वाद प्रश्न क्रमांक-3 एवं 4

24. उक्त वादप्रश्न का निष्कर्ष वादप्रश्न क्रमांक 1 के निष्कर्ष पर आधारित है एवं वादप्रश्न क्रमांक 1 के निष्कर्ष अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1729 रकवा 0.42 हे० के संपूर्ण भाग के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी नहीं हैं। प्र०पी-16 एवं प्र०डी-1 के निर्णयानुसार उक्त भूमि के 1/4 भाग का स्वधारी प्रतिवादी हरलाल को घोषित किया गया है। चूंकि वादीगण वादग्रस्त भूमि के संपूर्ण रकवे के एकमात्र स्वत्व एवं आधिपत्यधारी नहीं हैं एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 का भी वादग्रस्त भूमि के 1/4 भाग पर स्वत्व है ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादी हरलाल द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है। अतः वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। फलतः उक्त दोनों वादप्रश्न भी वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं हैं।

वाद प्रश्न क्रमांक-5

25. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में उसके द्वारा व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 न्यायालय में संचालित किया गया था जोकि दिनांक 12.12.2000 को निर्णीत हुआ था। निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2000 वादीगण एवं हरलाल के मध्य रेस्ज्यूडीकेटा का प्रभाव रखती है। अतः प्रस्तुत वाद प्रांग न्याय के सिद्धांत के अनुसार प्रचलन योग्य नहीं है।

26. प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में पूर्व व्यवहार वाद क्रमांक 31ए/2000 के वादपत्र जवाबदावा एवं निर्णय तथा डिक्री दिनांक 12.12.2000 की सत्यापित प्रतिलिपियां प्र०डी-5, प्र०डी-6 एवं प्र०डी-1 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन से यह दर्शित है कि व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 प्रतिवादी हरलाल द्वारा दाताराम, रामेश्वर, लालसिंह, एवं रामनाथ के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था। वादीगण उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं थे। व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अनुसार – “कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाघक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद विषय उसी हक के अधीन मुकद्दमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः या सारतः विवाघक रहे हैं जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद जिसमें ऐसा विवाघक वाद में उठाया गया है विचारण करने के लिये सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से

विनिश्चित किया जा चुका है।”

27. इस प्रकार प्रांग न्याय का सिद्धांत तभी लागू होता है जबकि पश्चातवर्ती वाद भी उन्हीं पक्षकारों के मध्य अथवा उनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन मुकद्दमा करने वाले पक्षकारों के मध्य हो। प्रस्तुत प्रकरण में प्र०डी-5 का वाद प्रतिवादी हरलाल द्वारा दाताराम वगैरह के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद में प्रस्तुत प्रकरण के वादीगण पक्षकार नहीं थे। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण के वादीगण प्र०डी-5 के वाद में पक्षकार नहीं थे एवं प्र०डी-5 के वाद तथा प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार समान नहीं थे ऐसी स्थिति में प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है एवं प्रस्तुत वाद प्रांग न्याय के सिद्धांत के अनुसार बाधित नहीं है। फलतः उक्त वादप्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया।

वाद प्रश्न क्रमांक-7

28. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 1 हरलाल द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादीगण द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2000 के पालन में प्रतिवादी के राजस्व अभिलेख में नाम को निरस्त कराने की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रस्तुत वाद अवधि बाधित होने से संचालन योग्य नहीं है।

29. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि वादीगण द्वारा यह वाद वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1729 के संपूर्ण रकबा 0.42 है० की स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है एवं वादी द्वारा वादपत्र में वाद कारण दिनांक 16.07.12 को उत्पन्न होना बताया गया है तथा वादीगण द्वारा यह वाद दिनांक 26.07.12 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार वादीगण द्वारा वाद कारण उत्पन्न होने के तीन वर्ष की समयावधि के अंदर यह वाद प्रस्तुत किया गया है। फलतः उक्त प्रकरण परिसीमा अवधि द्वारा बाधित नहीं है। अतः उक्त वादप्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया।

वाद प्रश्न क्रमांक-8

30. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि के 1/4 भाग पर आधिपत्य नहीं है वादीगण ने प्रकरण में कब्जा वापसी की सहायता नहीं चाही है। अतः प्रस्तुत वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत संचालन योग्य नहीं है।

31. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वादग्रस्त भूमि की स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है एवं वादीगण द्वारा वादपत्र में यह भी अभिवचनित किया गया है कि प्रतिवादी हरलाल ने प्रतिवादी क्रमांक 2 के अधीनस्थ कर्मचारियों से मिलकर वादग्रस्त भूमि पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम अंकित करा लिया है। प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित है कि व्यवहारवाद क्रमांक 31ए/2000 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2000 के द्वारा प्रतिवादी हरलाल को वादग्रस्त भूमि के 1/4 भाग का स्वत्वधारी घोषित किया गया है एवं वादी एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के सहस्वामी एवं सहआधिपत्यधारी हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण को पृथक से कब्जा वापसी की सहायता मांगना आवश्यक नहीं था। अतः प्रस्तुत वाद कब्जा वापसी की सहायता न चाहे जाने के कारण अप्रचलनशील नहीं है। फलतः उक्त वादप्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया।

सहायता एवं व्यय

32. उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से वादीगण वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक

1729 रकवा 0.42 है० के संपूर्ण भाग पर अपना एकल स्वत्व एवं आधिपत्य प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। समग्र अवलोकन से वादीगण वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं अतः प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है।

1. वाद का संपूर्ण व्यय वादीगण द्वारा वहन किया जायेगा।
2. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हों देय होगा।

तदनुसार जयपत्र निर्मित किया जावें।

स्थान – गोहद

दिनांक – 21-12-2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1

गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1

गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)